

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 35-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2019 (PHALGUNA 3, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 22nd February, 2019

No. 11-HLA of 2019/15/3866.— The Haryana Accountability of Public Finances Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 11- HLA of 2019

THE HARYANA ACCOUNTABILITY OF PUBLIC FINANCES BILL, 2019

A

BILL

to provide for accountability in the financial administration of the State by way of an efficient and effective system to facilitate accountability through appropriate accounting and auditing system of accountable and auditable entity and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Accountability of Public Finances Act, 2019.

Short title and commencement.

- (2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify.
- 2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

Definitions.

- (a) "accountable and auditable entity" means all the Departments, Boards, Corporations, Co-operative Societies, Universities, local authorities, statutory bodies, public institutions, and other authorities established, controlled or financed by the State Government, Non-Government Organizations which receive grant-in-aid or contribution from State Government and all those entities that receive public monies from the State Government in any form including organizations which receive funds from the consolidated fund of the State:
- (b) "account officer" means any person, including those outsourced or hired, who has been assigned the work to maintain the accounts of income and expenditure including financial book-keeping of an accountable and auditable entity;

- (c) "audit officer" means any person, including those outsourced or hired, who has been assigned the work to verify the accounts of income and expenditure including financial book-keeping of an accountable and auditable entity;
- (d) "audit" includes pre audit, concurrent audit, post audit, test audit, special audit, system audit, performance audit and such other examination of accounts, as may be specified;
- (e) "authority" means an officer responsible for adherence to the provisions of this Act for each accountable and auditable entity;
- (f) "concurrent audit" means a continuous audit of accounts of day-to-day transactions;
- (g) "local authority" means a municipal corporation, municipal council, municipal committee, Town Improvement Trust, Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad constituted under the relevant law for the time being in force;
- (h) "local fund" means-
 - (i) revenues administered by accountable and auditable entity which by law or rule having the force of law come under the control of State Government, whether in regard to proceedings generally or to specific matters such as the sanctioning of budget, sanction for creating or filling up of particular post or the rules relating to leave, pension etc.;
 - (ii) the revenue of any accountable and auditable entity which may be specially notified by the State Government;
- (i) "performance audit" means an independent examination of a program, function, operation or the management systems and procedures of an accountable and auditable entity whether such entity is achieving economy, efficiency and effectiveness in the employment of available resources;
- (j) "post audit" means the detailed audit conducted after the completion of transactions;
- (k) "pre audit" means detailed examination of financial documents to ensure that all information is correct before the transaction is conducted;
- (l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (m) "special audit" means an audit of accounts pertaining to a specified item or series of items requiring thorough examination;
- (n) "systems audit" means an approach to evaluate and improve the effectiveness of a system in order to verify that the individual elements within the system are effective and suitable in achieving the stated objectives including Business Process Re-engineering;
- (o) "State" means the State of Haryana;
- (p) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;
- (q) "test audit" means an audit to check transactions of a particular type of expenditure and receipt during a specified period;
- (r) "University" means a University established or incorporated by an Act of the State Legislature and shall include University established under Central Act receiving grant-in-aid or contribution from State Government for any purpose.

Audit of accounts.

3. Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and without prejudice to the powers and functions of the Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (Central Act 56 of 1971), it shall be lawful to conduct an audit of accountable and auditable entity in the manner provided by or under this Act and to recover the cost of audit in respect of such accountable and auditable entity in such manner, as may be prescribed.

Separation of State Audit and State Accounts Wing.

- **4.** (1) There shall be an Audit Wing and Accounts Wing headed by the Director, Audit and Director, Accounts respectively and shall work under the supervision of Administrative Secretary to Government, Haryana, Finance Department.
- (2) The manner of audit and maintenance of accounts of each accountable and auditable entity or of any specific activity shall be such, as may be prescribed.

5. The Forms in which the accounts are to be maintained, including accrual system of accounting, Enterprise Resource Planning tools and deployment of appropriate technology shall be such, as may be prescribed.

Forms of accounts.

- **6.** (1) The State Government shall constitute the Haryana State Audit and Accounts Services. The mode of recruitment and conditions of service of the members of the Service shall be such, as may be prescribed.
- Constitution of Haryana State Audit and Accounts Services.
- (2) The Local Audit Department prior to the commencement of this Act shall hereinafter be known as the State Audit Department. The Director, Local Audit functioning before the commencement of this Act shall continue as the Director, State Audit Department.
- Liability of authority to prepare and present accounts for audit.
- 7. (1) The accounts relating to the financial year shall be prepared and presented for audit by the authority within three months after the end of each financial year, in such form and in such manner, as may be prescribed.
- (2) The authority shall furnish certified financial disclosure by the 30th June each year including details of the various bank accounts of the accountable and auditable entity along with the following details-
 - (i) public funds deposited in the various bank accounts;
 - (ii) interest thereon; and
 - (iii) utilization as on date and future expenditure plan.
- (3) The State Government may withhold release of funds to any accountable and auditable entity which fails to furnish accounts for audit on expiry of three months from the end of financial year.
- (4) The State Government shall take necessary action to recover the loss as identified by the Audit Officers in such manner, as may be prescribed.
- (5) The authority shall check that the public funds provided to any accountable and auditable entity for a specific purpose are spent in the financial year, failing which, the State Government may initiate examination into the economy, efficiency and effectiveness with which the resources have been utilized and after giving an opportunity of being heard, may-
 - (i) call for an explanation for non-utilization within the financial year;
 - (ii) call for explanation for the delay:
 - (iii) withdraw the funds allocated by the State, along with interest incurred on such funds and deposit the same in a bank account designated by the State Government:

Provided that the funds withdrawn above may be released by the State Government on submission of a request by the accountable and auditable entity along with a concrete action plan for utilization:

Provided further that no funds shall be withdrawn contrary to the provisions of the Constitution of India or any other law for the time being in force.

8. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

Power to make rules.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Government may make rules providing for:-
 - (a) the manner to recover the cost of audit under section 3;
 - (b) the manner of audit and maintenance of accounts under sub-section (2) of section 4;
 - (c) the Form is which the accounts are to be maintained under section 5;
 - (d) the form and manner for preparing and presenting the accounts for audit under sub-section (1) of section 7;
 - (e) the manner for recovery of loss under sub-section (4) of section 7;
 - (f) any other matter which has to be or may be prescribed by rules made under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

An Act to provide for accountability in the financial administration of the State by way of an efficient and effective system to facilitate accountability through appropriate accounting and auditing system in all the Departments, Boards, Corporations, Co-operative Societies, Universities, local authorities, statutory bodies, public institutions, and other authorities established, controlled or financed by the State Government, Non-Government Organizations which receive grant-in-aid or contribution from State Government and all those entities that receive public monies from the State Government in any form including organizations which receive funds from the consolidated fund of the State.

	CAPT. ABHIMANYU, Finance Minister, Haryana.
Chandigarh: The 22nd February, 2019.	R. K. NANDAL, Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Haryana Accountability of Public Finances Bill, 2019, to provide for accountability in the financial administration of the State by way of an efficient and effective system to facilitate accountability through appropriate accounting and auditing system of accountable and auditable entity and for matters connected therewith or incidental thereto.

Section 3 of the proposed bill shall empower the State Government to lawfully conduct an audit of any accountable and auditable entity in the manner provided by or under this Act, without prejudge to the powers and functions of the Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (Central Act 56 of 1971). Section 4 of the proposed bill empowers the State Government to declare the Directors of the Audit and the Accounts Wing and the Administrative Secretary in Government of these Wings. Section 5 of the proposed bill empowers the State Government to prepare Forms in which the accounts are to be maintained. Section 6 of the proposed bill empowers the State Government to constitute the Haryana State Audit and Accounts Services and status of Director, Local Audit Haryana after being designated as Director, State Audit Department. Section 7 of the proposed bill to empower the State Government to direct furnishing of the information by the authority certified financial disclosure by the 30th June each year including details of the various bank accounts of the accountable and auditable entity and to withhold release of funds to any accountable and auditable entity and to withhold release of funds to any accountable and auditable entity and to withhold release of funds to any accountable and auditable entity which fails to furnish accounts for audit on expiry of three months from the end of financial year. Section 8 of the proposed bill empowers the State Government by notification in the official Gazette to make rules to carry out the purposes of this Act.

This delegation of power to the executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required in rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 11-एच०एल०ए०

हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक, 2019 लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था के समुचित लेखा और संपरीक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्तरदायित्व को सुकर बनाने हेतु दक्ष तथा प्रभावी प्रणाली के द्वारा राज्य के वित्तीय प्रशासन में उत्तरदायित्व हेतु तथा इससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

- . (1) यह अधिनियम हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है।
 - (2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।
- परिभाषाएं । 2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) ''लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था'' से अभिप्राय है, सभी विभाग, बोर्ड, निगम, सहकारी सोसाइटी, विश्वविद्यालय, स्थानीय प्राधिकरण, वैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्था तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित, नियन्त्रित या वित्तपोषित अन्य प्राधिकरण, गैर सरकारी संगठन, जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान या अंशदान प्राप्त करते हैं, तथा वे सभी संस्थाएं जो किसी भी स्वरूप में राज्य सरकार से लोक धन—राशियां प्राप्त करती हैं, इनमें वे संगठन भी शामिल हैं, जो राज्य की संचित निधि में से निधियां प्राप्त करते हैं;
 - (ख) ''लेखा अधिकारी'' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, इसमें वे भी शामिल हैं, जिन्हें आऊटसोर्स या पारिश्रमिक पर लिया गया है, जिन्हें आय तथा खर्च के लेखों का रख–रखाव करने का कार्य सौंपा गया है, इसमें किसी लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था का वित्तीय हिसाब–किताब भी शामिल है:
 - (ग) ''संपरीक्षा अधिकारी'' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, इसमें वे भी शामिल हैं जिन्हें आऊटसोर्स या पारिश्रमिक पर लिया गया है, जिन्हें आय तथा खर्च के लेखों के सत्यापन का कार्य सौंपा गया है, इसमें किसी लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था का वित्तीय हिसाब–िकताब भी शामिल है
 - (घ) ''संपरीक्षा'' में शामिल हैं, पूर्व—संपरीक्षा, समवर्ती संपरीक्षा, पश्च—संपरीक्षा, नमूना संपरीक्षा, विशेष संपरीक्षा, क्रमबद्ध संपरीक्षा, संपादन संपरीक्षा तथा लेखों की ऐसी अन्य जांच, जो विहित की जाए
 - (ड.) ''प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, प्रत्येक लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों की पालना करने हेतु जिम्मेवार कोई अधिकारी;
 - (च) ''समवर्ती संपरीक्षा'' से अभिप्राय है, दैनिक संव्यवहार के लेखों की सतत संपरीक्षा;
 - (छ) ''स्थानीय प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, तत्समय लागू किसी सुसंगत विधि के अधीन गठित कोई नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिका समिति, नगर सुधार न्यास, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् ;
 - (ज) ''स्थानीय निधि'' से अभिप्राय है-
 - (i) लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था द्वारा प्रशासित राजस्व जो राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन विधि या नियमों द्वारा विधि का बल रखती है, चाहे सामान्य कार्यवाहियों या विशेष मामलों जैसे बजट की स्वीकृति, विशिष्ट पद के सृजन या भरने की स्वीकृति या अवकाश, पेंशन इत्यादि से संबंधित नियमों के संबंध में हो;
 - (ii) किसी लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था का राजस्व, जो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया जाए ;
 - (झ) ''संपादन संपरीक्षा'' से अभिप्राय है, किसी लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था के किसी कार्यक्रम, कृत्य, संचालन या प्रबन्धन प्रणाली तथा प्रक्रिया की स्वतन्त्र जांच, चाहे ऐसी संस्था उपलब्ध संसाधनों से नियोजन में मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभाविता उपार्जित कर रही हो ;

- (ञ) ''पश्च—संपरीक्षा'' से अभिप्राय है, संव्यवहारों के समापन के बाद संचालित ब्यौरेवार संपरीक्षा:
- (ट) ''पूर्व—संपरीक्षा'' से अभिप्राय है, वित्तीय दस्तावेजों की ब्यौरेवार जांच यह सुनिश्चित करने हेतु कि संव्यवहार के संचालन से पूर्व सभी जानकारी सही हैं;
- (ठ) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (ड) ''विशेष संपरीक्षा'' से अभिप्राय है, सम्पूर्ण जांच के लिए आवश्यक किसी विनिर्दिष्ट मद या मदों की श्रृंखला से सम्बन्धित लेखों की संपरीक्षा;
- (ढ) ''क्रमबद्ध संपरीक्षा'' से अभिप्राय है, किसी प्रणाली की प्रभाविता के मूल्यांकन तथा सुधार का दृष्टिकोण यह सत्यापन करने के लिए कि प्रणाली के भीतर, वैयक्तिक घटक कथित उद्देश्यों को उपार्जित करने में प्रभावी तथा उपयुक्त है, इसमें कारबारी प्रक्रिया रि—इंजिनियरिंग भी शामिल है ;
- (ण) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;
- (त) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (थ) ''नमूना संपरीक्षा'' से अभिप्राय है, विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान विशिष्ट प्रकार के खर्च तथा प्राप्ति के संव्यवहारों की जांच पड़ताल हेत् संपरीक्षा;
- (द) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है, राज्य विधानमण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय तथा इसमें केन्द्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय भी शामिल होगा, जो किसी प्रयोजन के लिए राज्य सरकार से सहायता अनुदान या अंशदान प्राप्त कर रहा है।
- 3. इस अधिनियम में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी तथा नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम 56) की शक्तियों तथा कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन उपबन्धित रीति में तथा ऐसी लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था के संबंध में संपरीक्षा की लागत की वसूली के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था की संपरीक्षा का संचालन करना विधिपूर्ण होगा।

लेखों की संपरीक्षा।

4. (1) संपरीक्षा विंग तथा लेखा विंग होंगी और उनकी अगवाई क्रमशः निदेशक, संपरीक्षा तथा निदेशक, लेखा द्वारा की जाएगी तथा प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के पर्यवेक्षणाधीन कार्य करेंगी।

राज्य संपरीक्षा तथा राज्य लेखा विंग का अलग होना।

- (2) प्रत्येक लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था के लेखों की संपरीक्षा तथा रख-रखाव या किसी विशिष्ट क्रियाकलाप की रीति ऐसी होगी, जो विहित की जाए।
- 5. प्ररूप, जिनमें लेखों का रख-रखाव किया जाना है, जिसमें लेखा प्रोद्भूत प्रणाली, उद्यम संसाधन प्लानिंग साधन तथा समूचित प्रौद्योगिकी का परिनियोजन शामिल है, ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

लेखों के प्ररूप।

- 6. (1) राज्य सरकार, हरियाणा राज्य संपरीक्षा तथा लेखा सेवाओं का गठन करेगी। सेवा के सदस्यों की भर्ती का ढंग तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।
- (2) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, जो इसमें, इसके बाद, राज्य लेखा परीक्षा विभाग के नाम से ज्ञात होगा। इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व कार्यरत निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग के रूप में बना रहेगा।

हरियाणा राज्य संपरीक्षा तथा लेखा सेवाओं का गठन।

7. (1) वित्त वर्ष से सम्बन्धित लेखे, प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद तीन मास के भीतर प्राधिकरण द्वारा संपरीक्षा हेतु ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में तैयार तथा प्रस्तुत किए जाएंगे।

संपरीक्षा हेतु लेखों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकरण का दायित्व।

- (2) प्राधिकरण, निम्नलिखित ब्यौरों के साथ—साथ लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था के विभिन्न बैंक खातों के ब्यौरों सहित प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक प्रमाणित वित्तीय प्रकटीकरण प्रस्तुत करेगा—
 - (i) विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई लोक-निधियां;
 - (ii) उस पर ब्याज; तथा
 - (iii) उस तिथि को उपयोग या भावी खर्च योजना।

- (3) राज्य सरकार, किसी लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था, जो वित्त वर्ष के अन्त से तीन मास की समाप्ति पर संपरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत करने में असफल रहती है, को जारी की गई निधियों को रोक सकती है।
- (4) राज्य सरकार, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में संपरीक्षा अधिकारियों द्वारा यथा परिलक्षित हानि की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी।
- (5) प्राधिकरण, यह जांच पड़ताल करेगा कि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किसी लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था को उपलब्ध करवाई गई लोक निधियां वित्त वर्ष में खर्च कर ली गई हैं, जिसमें असफल रहने पर, राज्य सरकार मितव्ययिता, दक्षता, प्रभाविता, जिनसे संसाधनों का उपयोग किया गया है, से जांच प्रारम्भ कर सकती है तथा सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद—
 - (i) वित्त वर्ष के भीतर अनुपयोग के लिए स्पष्टीकरण मांग सकती है;
 - (ii) विलम्ब के लिए स्पष्टीकरण मांग सकती है;
 - (iii) ऐसी निधि पर प्रोद्भूत ब्याज सहित राज्य द्वारा आबंटित निधि को वापस ले सकती है तथा राज्य सरकार द्वारा नामित बैंक खाते में इसे जमा करवा सकती है:

परन्तु उपरोक्त वापस ली गई निधि, उपयोग के लिए निश्चित कार्य योजना सिंहत लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था द्वारा निवेदन प्रस्तुत किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा जारी की जा सकती है:

परन्तु यह और कि भारत के संविधान या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल कोई भी निधि वापस नहीं ली जाएगी।

नियम बनाने की शक्ति।

- 8. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकती है।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार निम्नलिखित उपबन्ध करने हेतु नियम बना सकती है:—
 - (क) धारा 3 के अधीन संपरीक्षा की लागत को वसूल करने हेतु रीति;
 - (ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन लेखों की संपरीक्षा तथा रख-रखाव की रीति;
 - (ग) प्ररूप, जिसमें धारा 5 के अधीन लेखों का रख-रखाव किया जाना है:
 - (घ) धारा ७ की उपधारा (1) के अधीन संपरीक्षा के लिए लेखों को तैयार तथा प्रस्तुत करने का प्ररूप तथा रीति;
 - (ङ) धारा ७ की उपधारा (४) के अधीन हानि की वसूली के लिए रीति;
 - (च) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, सहकारी समितियों, विश्विद्यालयों, स्थानीय प्राधिकरणों, निकाय, सार्वजिनक संस्थान, और राज्य सरकार, गैर—सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित, नियंत्रित या वित्तपोषित, जो राज्य सरकार से अनुदान—सहायता या अंशदान प्राप्त करते हैं और वे सभी निकाय जो किसी भी रूप में राज्य सरकार से सार्वजिनक धन प्राप्त करते हैं वे संगठन जो राज्य के समेकित कोष से धन प्राप्त करते हैं में उपयुक्त वैधानिक लेखा और लेखा परीक्षा प्रणाली के माध्यम से जवाबदेही की सुविधा के लिए एक कुशल और प्रभावी प्रणाली के माध्यम से राज्य के वित्तीय प्रशासन में जवाबदेही प्रदान करने के लिए एक अधिनियम।

कैप	टन ३	मभिमन्यु,	
वित्त	मंत्री,	हरियाणा ।	

चण्डीगढ़ः दिनांक 22 फरवरी, 2019. आर० के० नांदल, सचिव।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक, 2019 लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था के समुचित लेखा और संपरीक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्तरदायित्व को सुकर बनाने हेतु दक्ष तथा प्रभावी प्रणाली के द्वारा राज्य के वित्तीय प्रशासन में उत्तरदायित्व हेतु तथा इससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक

प्रस्तावित विधेयक की धारा 3 राज्य सरकार को इस अधिनियम के तहत किसी बात के प्रतिकृल होते हए भी तथा नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीयें अधिनियम 56) की शक्तियों तथा कृत्यों पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के द्वारा ऐसी लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था के संबंध में संपरीक्षा की लागत की वस्ली के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था की संपरीक्षा का संचालन करना विधिपूर्ण करवाने बारे शक्तियां प्रदान करती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 4 राज्य सरकार को इस अधिनियम के तहत संपरीक्षा विंग तथा लेखा विंग और उनकी अगवाई क्रमशः निदेशक, संपरीक्षा तथा निदेशक, लेखा द्वारा तथा प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के पर्यवेक्षणाधीन कार्य बारे शक्तियां प्रदान करती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 5 राज्य सरकार को इस अधिनियम के तहत प्ररूप, जिनमें लेखों का रख-रखाव कैसे किया जाना है बारे शक्तियां प्रदान करती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 6 राज्य सरकार को इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार, हरियाणा राज्य संपरीक्षा तथा लेखा सेवाओं का गठन करेगी। सेवा के सदस्यों की भर्ती का ढंग तथा सेवा की शर्ते व इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, जो इसमें, इसके बाद, राज्य लेखा परीक्षा विभाग बनाने बारे शक्तियां प्रदान करती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 7 राज्य सरकार को इस अधिनियम के तहत वित्त वर्ष से सम्बन्धित लेखे, प्रत्येक वित्त वर्ष की 30 जून तक लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था के प्रमाणित विभिन्न बैंक खातों के ब्यौरों सहित संपरीक्षा हेतू प्रकटीकरण बारे शकितयां प्रदान करती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 8 राज्य सरकार को इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार, को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापक्ता पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना नियम बनाने बारे शक्तियां प्रदान करती है।

कार्यकारी को शक्तियों का यह प्रत्यायोजना सामान्य विशेषता का है। इसलिए हरियाणा विधान सभा कार्य—प्रक्रिया तथा संचालन नियमों के नियम 126 में अपेक्षित प्रतिनिधि कानून के बारे में ज्ञापन सलंग्न है।

56880-H.V.S.-H.G.P.,Chd.